

| दिनांक | आज्ञा पत्र |
|----------|---|
| 12.5.21 | <p>DUE TO LOCKDOWN FILE PUT ON DATE AT 28.7.21</p> <p>READER</p> |
| 28.7.21 | <p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठारसीन अधिकारी महोदय आज... 28.7.21 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 6.10.21 को पेश हो।</p> |
| 6.10.21 | <p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठारसीन अधिकारी महोदय आज... 6.10.21 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 29.11.21 को पेश हो।</p> |
| 29.11.21 | <p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठारसीन अधिकारी महोदय आज... 29.11.21 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 27.1.22 को पेश हो।</p> |
| 27.1.22 | <p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक पक्ष ने आज न्यायिक कार्य स्थापित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 11.4.22 को पेश हो।</p> |
| 11.4.22 | <p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठारसीन अधिकारी महोदय आज... 11.4.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 26.7.22 को पेश हो।</p> |
| 26.7.22 | <p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठारसीन अधिकारी महोदय आज... 26.7.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 27.7.22 को पेश हो।</p> |
| 27.7.22 | <p>पत्रावली पेश। वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामीत से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलाट ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलाट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय तुरंत इजलास सुनवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तुरंत तत्काल दायित्व दफतर हो।</p> |



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प इन्सपेक्टर)